संख्या:03 /2021/57जेएल/22-3-2021-800(34)/2017

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
वाराणसी।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 *लखनऊ: दिनाक: 19 जनवरी, 2021*

विषय- केन्द्रीय कारागार नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी इमरान आरफीन पुत्र श्री शमशुल आरफीन, निवासी-म0नं0-एस0-20/10ए, मोहल्ला वरूणापुर, थाना-कैण्ट, जनपद-वाराणसी को माता एवं पत्नी के उपचार हेतु पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) वृद्धि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1755/जि0प्रो0का0/बंदी/पैरोल/2020-21, दिनांक 15-01-2021 में की गयी संस्तुति के सन्दर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त केन्द्रीय कारागार नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी इमरान आरफीन पुत्र श्री शमशुल आरफीन, निवासी जनपद-वाराणसी को शासनादेश संख्या-83/2020/2138जेएल/22-3-2020-800(34)/2017, दिनांक 20-11-2020 के क्रम में एक माह की पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) वृद्धि स्वीकृत की जाती है। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या:03/2021/57जेएल/22-3-2021-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।
2- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार नैनी, प्रयागराज।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।